आदेश

श्री गिरधारी कुमार मिश्रा एवं कतिपय अन्य पुलिस अवर निरीक्षकों (आशु सहायक अवर निरीक्षक से सामान्य सहायक अवर निरीक्षक संवर्ग में प्रत्यावर्तित एवं पु0अ0नि0 संवर्ग में प्रोन्नत) के द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग में पूर्व में प्रदत्त प्रोन्नति तिथि को Shift Back करने के निमित्त पुलिस मुख्यालय में दिनांक–27.05.16 को एक अभ्यावेदन समर्पित किया गया था। पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार आवेदकों के दावों पर विचारण हेतु सुसंगत मामले को पुलिस मुख्यालय के केन्द्रीय चयन पर्षद (2) की दिनांक–02.03.2017 की बैठक में उपस्थापित किया गया। उक्त पर्षद द्वारा सुसंगत मामले की समीक्षा बिहार पुलिस हस्तक के परिशिष्ट–42, पुलिस आदेश संख्या–291/2008 में वर्णित प्रावधानों एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों के आधार पर समीक्षा की गयी। वस्तुस्थिति निम्नवत् पायी गई–

1. आवेदकों का कहना है कि पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक–5054/पी0–2 दिनांक–10.11.2008 एवं ज्ञापांक–3301/पी0–2 दिनांक–21.07.2008 द्वारा उनका सामान्य संवर्ग में प्रत्यावर्तन करते हुए सहायक अवर निरीक्षक के संवर्ग में आपसी राज्य वरीयता निर्धारित की गयी है। पुनः पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक–41/पी0–2 दिनांक–06.01.09 द्वारा स0अ0नि0 से पु0अ0नि0 संवर्ग में तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति दी गयी है। आवेदकों का दावा है कि स0अ0नि0 संवर्ग में निर्धारित आपसी राज्य वरीयतानुसार उनके कतिपय कनीय सहायक अवर निरीक्षकों (सिपाही से स0अ0पि0 में प्रोन्नत) को पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक–79/पी0–2 दिनांक–07.01.06 एवं ज्ञापांक–4205/पी0–2 दिनांक–14.08.07 द्वारा पु0अ0नि0 संवर्ग में प्रोन्नति दी गयी है। तदनुसार, कनीय की तिथि से इन्हें भी पु0अ0नि0 संवर्ग में प्रोन्नति तिथि Shift Back करते हुए प्रोन्नति तिथि संशोधित की जाय।
2. आशु स0अ0नि0 की राज्य वरीयता सूची एवं सेवापुस्ति में अंकित प्रविष्टियों के अनुसार आवेदकों की नियुक्ति वर्ष 1988,1989 एवं 1990 में आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद पर हुई थी। सभी आवेदकों की सेवा–विवरणी निम्न तालिका में स्पष्ट है –

क्र0 स0	स0अ0नि0 में वरीयता क्र0	पु0अ0नि0 का नाम/गृह जिला/जन्म तिथि	पदस्थापन जिला	सिपाही के पद पर नियुक्ति तिथि	हिन्दी/पी0टी0सी0 उत्तीर्णता की तिथि	आशु स0अ0नि0 के पद पर नियुक्ति की तिथि	सामान्य स0अ0नि0 में प्रत्यावर्त्तन की तिथि	*पु0अ0नि0 की कोटि में प्रोन्नति की तिथि*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3179 (ए)	से0नि0 राममूर्ति सिंह/पटना/30.01.56	पुलिस मुख्यालय	01.02.82	10.08.86 09.06.10	02.07.88	02.07.93	*06.01.09*
2	3179 (बी)	रहमत अली/पटना/26.06.61	निगरानी अन्वेषण ब्यूरो	19.04.84	– 09.06.10	02.07.88	02.07.93	*06.01.09*
3	3179 (सी)	अनवार आलम/नालन्दा/05.12.61	विशेष शाखा	15.12.83	25.02.85 05.05.11	02.07.88	02.07.93	*06.01.09*
4	3179 (डी)	गिरधारी कुमार मिश्रा/भागलपुर/25.02.62	पुलिस मुख्यालय	11.12.84	19.12.93 09.06.10	02.07.88	02.07.93	*06.01.09*
5	3186 (ए)	काशीनाथ दूबे/सासाराम/03.01.54	अप0 अनु0 विभाग	21.11.75	24.06.90 22.06.10	30.07.88	30.07.93	*06.01.09*
6	3186 (डी)	सुदर्शन सिंह/भोजपुर/02.01.58	रोहतास	16.02.82	27.12.86 09.06.10	30.07.88	30.07.93	*06.01.09*
7	3186 (ई)	बिनोद कुमार तिवारी/सिवान/31.01.61	एस0टी0ए फ0	29.08.79	21.02.92 09.06.10	30.07.88	30.07.93	*06.01.09*
8	3186 (एफ)	अमरेन्द्र कुमार/मुजफ्फरपुर/07.05.61	एस0टी0ए फ0	01.09.87	18.09.90 09.06.10	30.07.88	30.07.93	*06.01.09*
9	3186 (जी)	सत्येन्द्र कुमार/गया/14.05.62	विशेष शाखा	21.11.81	20.12.87 12.12.11	30.07.88	30.07.93	*06.01.09*
10	3186 (एच)	कृष्ण कुमार सिंह/सारण/25.11.62	मुजफ्फरपुर	24.02.83	25.11.84 24.04.10	30.07.88	30.07.93	*06.01.09*
11	3186 (आई)	रतन कुमार यादव/भागलपुर/01.03.63	सीतामढ़ी	03.12.81	10.01.86 09.06.10	30.07.88	30.07.93	*06.01.09*
12	3186 (जे)	राम विनोद सिंह/पटना/21.06.63	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	21.02.86	24.06.90 09.06.10	30.07.88	30.07.93	*06.01.09*
13	3186 (के)	अरविन्द कुमार मिश्रा/गया/31.11.64	रेल मुजफ्फरपुर	17.05.86	17.05.92 09.06.10	30.07.88	30.07.93	***09.06.10***

क्र० स०	स०अ०नि० में वरीयता क्र०	पु०अ०नि० का नाम / गृह जिला / जन्म तिथि	पदस्थापन जिला	सिपाही के पद पर नियुक्ति तिथि	हिन्दी / पी०टी०सी० उत्तीर्णता की तिथि	आशु स०अ०नि० के पद पर नियुक्ति की तिथि	सामान्य स०अ०नि० में प्रत्यावर्त्तन की तिथि	*पु०अ०नि० की कोटि में प्रोन्नति की तिथि*
14	3508 (ई)	अनिल कुमार पाण्डेय / समस्तीपुर / 01.06.60	सिवान	29.06.79	05.07.87 09.06.10	06.09.89	06.09.94	*06.01.09*
15	3508 (जी)	नंद किशोर सिंह / भोजपुर / 12.01.63	आर्थि० अप० ई०	14.05.82	23.07.95 09.06.10	06.09.89	06.09.94	*06.01.09*
16	3508 (एच)	संजय कुमार / पटना / 30.04.64	अरवल	31.12.83	17.01.93 09.06.10	06.09.89	06.09.94	*06.01.09*
17	3508 (आई)	नौशाद आलम / भोजपुर / 08.08.64	पुलिस मुख्यालय	13.05.88	21.02.92 09.06.10	09.08.89	06.09.94	*06.01.09*
18	3508 (जे)	असगर ईमाम / मधुबनी / 06.01.66	समस्तीपुर	13.03.86	27.04.93 09.06.10	06.09.89	06.09.94	*06.01.09*
19	4573 (ए)	विजय प्रसाद सिंह / बेगुसराय / 12.05.60	भागलपुर	17.06.81	03.05.92 22.06.10	10.04.90	10.04.95	*06.01.09*
20	4573 (बी)	अरविन्द कुमार / जहानाबाद / 02.01.61	निग० अन० ब्यूरो	01.06.80	– 20.11.13	10.04.90	10.04.95	*06.01.09*
21	4573 (सी)	समीर कुमार शेष / सुपौल / 16.01.62	पूर्णियाँ	13.01.84	24.10.87 22.06.10	10.04.90	10.04.95	*06.01.09*
22	4573 (डी)	मो० सलीम अहसन / नालन्दा / 03.01.63	पूर्णियाँ	08.12.86	06.01.91 25.04.16	01.08.90	10.08.95	*06.01.09*
1	3186 (बी)	बलदेव प्रसाद सिंह / मुजफ्फरपुर / 22.05.54	बेतिया			30.07.88	30.07.93	*06.01.09*
2	3186 (सी)	सत्येन्द्र नारायण प्रसाद / मुजफ्फरपुर / 06.08.56	भोजपुर			30.07.88	30.07.93	*06.01.09*
3	3193 (एल)	गुरू प्रताप सिंह / भोजपुर / 21.12.63	वैशाली			21.12.88	21.12.93	*06.01.09*
4	3508 (एफ)	अशरफ अंसारी / भोजपुर / 13.12.62	सुपौल			06.09.89	06.09.94	*06.01.09*

3. उपरोक्त विवरणी के स्तम्भ–6 (पी०टी०सी० उत्तीर्णता की तिथि) एवं 9 (पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग में प्रोन्नति की तिथि) के अवलोकन एवं तुलनात्मक अध्यन करने से स्पष्ट होता है कि उक्त अवर निरीक्षकों को पी०टी०सी० परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि से पूर्व ही पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग में प्रोन्नति दे दी गई।
4. बिहार पुलिस हस्तक के परिशिष्ट–42 में वर्णित प्रावधान के अनुसार आशु संवर्ग के पदाधिकारियों को सामान्यतः 05 वर्ष की सेवा के उपरान्त सामान्य संवर्ग में प्रत्यावर्तित किया जाना है। सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–11211/2003, सूर्यनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुसार सामान्य संवर्ग में प्रत्यावर्तन के उपरान्त आशु संवर्ग में पदाधिकारियों की वरीयता का हनन अधिकतम 05 वर्ष ही होगा। तत्क्रम में निर्गत पुलिस आदेश संख्या–291/2008 में वर्णित प्रावधान के अनुरूप उक्त अवर निरीक्षकों की सामान्य अवर निरीक्षक के संवर्ग में वरीयता निर्धारित है।
5. बिहार पुलिस हस्तक के परिशिष्ट–42 में वर्णित प्रावधान के अनुसार प्रत्यावर्त्तनोंपरान्त पी०टी०सी० परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त ही संबंधित पदाधिकारियों को पुलिस की शक्ति प्राप्त होगी, किन्तु आवेदकों को स०अ०नि० संवर्ग में पुलिस की शक्ति प्राप्त होने से पूर्व ही अगली पंक्ति (पुलिस अवर निरीक्षक) में प्रोन्नति इस शर्त्त के साथ दे दी गई कि पी०टी०सी० उत्तीर्ण होने के उपरान्त उन्हें पुलिस की शक्ति प्राप्त होगी।
6. पुलिस आदेश संख्या–291/2008 में वर्णित प्रावधान के अनुसार आवेदकों को सामान्य सहायक अवर निरीक्षक संवर्ग में नियुक्ति के पांच वर्षों के बाद पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रत्यावर्तित किया गया है। सामान्य सहायक अवर निरीक्षक का कार्य करने हेतु उन्हें विभागीय परीक्षा यथा पी०टी०सी० परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक था, जो कोई भी आवेदक वर्ष 2009 से पूर्व उत्तीर्ण नहीं कर सके। **पुलिस** मुख्यालय के आदेश ज्ञापांक–41/पी०–2 दिनांक–06.01.2009 द्वारा तत्काल प्रभाव से **पुलिस अवर** निरीक्षक के संवर्ग में इस शर्त के साथ प्रोन्नति दी गई कि पी०टी०सी० परीक्षा उत्तीर्ण करने **के उपरान्त** उन्हें पुलिस की शक्ति प्राप्त होगी।

7. दिनांक–21.07.08 को इनका सामान्य संवर्ग में प्रत्यावर्त्तन नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के बाद कंडिका–8 में वर्णित तिथि किया गया है। साथ ही, जिस तिथि से पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग में प्रोन्नति का दावा किया गया है, उक्त तिथि तक पी0टी0सी0 परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं थे। इनसे कनीय सहायक अवर निरीक्षक जो सिपाही संवर्ग से प्रोन्नत होकर सहायक अवर निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे; को नियमानुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त आवेदकों से पूर्व उपलब्ध रिक्ति एवं योग्यता/अर्हता के आधार पर केन्द्रीय चयन पर्षद में योग्य पाये जाने के उपरान्त पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग में प्रोन्नति दी गई थी, जबकि उक्त तिथि में आवेदकगण प्रोन्नति की अर्हता नहीं रखते थे। इसलिए उक्त तिथियों के प्रभाव से आवेदकगण प्रोन्नति के लिए अयोग्य थे। अतः इनके प्रोन्नति तिथि को Shift Back करने का दावा मान्य नहीं है।
8. सभी आवेदकगण वर्ष 2010 एवं 2011 या उसके बाद की तिथि में पी0टी0सी0 उत्तीर्ण हुए है। इसलिए पी0टी0सी0 उत्तीर्णता के पूर्व उक्त पदाधिकारियों को पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग में पुलिस मुख्यालय स्तर से प्रदत्त प्रोन्नति पुलिस हस्तक नियम 684(1) में वर्णित प्रावधाना के आलोक में नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है।
9. संचिका में उपलब्ध सभी कागजातों, वरीयता सूची, बिहार पुलिस हस्तक के परिशिष्ट–42(5) में वर्णित प्रावधान एवं सुसंगत पुलिस आदेश, बिहार पुलिस हस्तक 1978 के नियम– 678(इ) एवं नियम–684(1) के अवलोकनोपरान्त केन्द्रीय चयन पर्षद–2 द्वारा सभी बिन्दुओं पर विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि आशु सहायक अवर निरीक्षक से प्रत्यावर्तित सामान्य सहायक अवर निरीक्षक को पुलिस अवर निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति के लिए पी0टी0सी0 परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। बिना पी0टी0सी0 परीक्षा उत्तीर्ण किये पुलिस मुख्यालय के आदेश ज्ञापांक–41/पी0–2 दिनांक–06.01.09 द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक के संवर्ग में जो प्रोन्नति दी गई है, वह नियमानुकूल नहीं है, क्योंकि उक्त तिथि को अरविन्द कुमार मिश्रा, सहायक अवर निरीक्षक वरीयता क्रमांक–3186(के) को छोड़कर कोई भी आवेदक पी0टी0सी0 परीक्षा उत्तीर्ण नहीं थे।
10. सम्यक् विचारोपरान्त केन्द्रीय चयन पर्षद इस निर्णय पर पहुँची कि उक्त आवेदकों में अरविन्द कुमार मिश्रा [क्रमांक–13 वरीयता सूची–3186(के)] को छोड़कर शेष सभी आवेदकों को पूर्व में पु0अ0नि0 संवर्ग में प्रदत्त प्रोन्नति नियमानुकूल नहीं है। अतः वर्णित परिस्थिति में केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा निम्नवत् अनुशंसा की गयी है –
    a. आशु संवर्ग से सामान्य संवर्ग में प्रत्यावर्तित कर्मियों के लिए यदि पुलिस शक्ति प्राप्त करने एवं अगली पंक्ति में प्रोन्नति पाने के लिए यथाविहित विभागीय परीक्षा यथा पी0टी0सी0 परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता पुलिस मुख्यालय, बिहार द्वारा यदि शिथिल किया जाता है, तो आवेदकों को सहायक अवर निरीक्षक संवर्ग में यथानिर्धारित वरीयता के आधार पर पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग में कनीय की तिथि से प्रोन्नति तिथि Shift back किया जा सकता है।
    b. यदि प्रोन्नति से पूर्व पी0टी0सी0 परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता पुलिस मुख्यालय द्वारा शिथिल नहीं की जाती है, तो इनकी प्रोन्नति आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए पी0टी0सी0 परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि, जिस तिथि में आवेदकगण प्रोन्नति की सम्पूर्ण अर्हता धारण करते है एवं योग्य पाये जाते है, उसी तिथि के प्रभाव से पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग में प्रोन्नति तिथि निर्धारित की जा सकती है। अर्थात प्रोन्नति की तिथि shift forward की जा सकती है।
    c. उक्त दोनों विकल्पों में से जो विकल्प पुलिस मुख्यालय स्तर से अनुमोदित होता है, उसी के अनुसार सदृश अन्य मामलों में भी समरूप निर्णय अपेक्षित होगा।
11. केन्द्रीय चयन पर्षद की उपरोक्त अनुशंसाओं के आलोक में पुलिस मुख्यालय स्तर पर बिहार पुलिस हस्तक के परिशिष्ट–42, सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–11211/2003 एवं पुलिस आदेश सं0–291/08 तथा बिहार पुलिस हस्तक के नियम क्रमशः 683, 684, 660(सी), 678(डी)(IV)(i) एवं 685(a)(i) में वर्णित प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Bharathidasan University and another v. All India Council for Technical Education and others, 2001 (8) SCC 676, Dilip Kumar Ghosh & Ors, v. Chairman & Ors., 2005(7) SCC 567 एवं R. Prabhadevi and others v. Union of India and others, reported in 1998 SCC (L&S) 475 में पारित न्याय निर्णयों के आलोक में समीक्षा की गई।
12. पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रोन्नति प्रदान करने के लिए कुछ न्यूनत्तम अर्हताए विहित होती है और विहित अर्हता रखने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रोन्नति नियमानुसार प्रदान की जाती है। स0अ0नि0 कोटि में प्रोन्नति प्रदान करने हेतु पुलिस हस्तक नियम में निम्न अर्हताएँ दी गयी है :–
13. पुलिस हस्तक नियम–683 में आशु टंकक अवर निरीक्षक एवं आशु टंकक सहायक अवर निरीक्षक के प्रशिक्षण और परीक्षा की नियमावली हेतु परिशिष्ट–42 निर्देशित है। परिशिष्ट–42 की कंडिका–5 में उल्लेख है कि आशु या टंकक सहायक अवर निरीक्षक के लिए वही मानदंड रखा जाएगा, जो पुलिस हस्तक नियम–663 के अनुसार सिपाहियों के लिए है। उम्मीदवारों की नियुक्ति केन्द्रीय चयन **बोर्ड** करेगा एवं वे 05 वर्षों तक आशु लिपिक के रूप में कार्य करेगें। इसके बाद वे सामान्यतः **जिलों के** कार्य पर लौट जाएगे, परन्तु इसके पहले उन्हें आरक्षी प्रशिक्षण महाविधालय में पुलिस **के सामान्य** कर्त्तव्यों का सामान्य प्रशिक्षण लेना होगा।

14. पुलिस हस्तक नियम 684 में सिपाही संवर्ग के सहायक अवर निरीक्षक पंक्ति में प्रोन्नति के लिए आरक्षी प्रशिक्षण महाविधालय में 06 महीने का प्रशिक्षणचर्या (पी0टी0सी0) पूरी करने का प्रावधान है। सहायक अवर निरीक्षक की पंक्ति में प्रोन्नति के लिए चुने गये सिपाहियों की दशा में उन्हें 06 महीने की प्रशिक्षणचर्या पूरी करनी होगी। प्रशिक्षण में अपराध का निरोध और उद्भेदन, पर्यवेक्षण और नेतृत्व, भीड़ नियंत्रित करने की रीति, मोटर साईकिल चलाने और दुरूस्त रखने की रीति विषय–वस्तु होंगे।

15. पुलिस हस्तक नियम 660(सी) में प्रावधान है कि किसी भी सिपाही को सहायक अवर निरीक्षक की पंक्ति में तबतक प्रोन्त्त नहीं किया जायेगा, जबतक कि वह आरक्षी प्रशिक्षण महाविधालय में सहायक अवर निरीक्षकों की चर्या की परीक्षा उत्तीर्ण न कर ले।

16. पुलिस हस्तक नियम 678(डी)(IV)(i) में निरीक्षक से सिपाही संवर्ग तक के सभी कर्मियों के बारे में प्रावधान है कि हिन्दी पढ़ने–लिखने की परीक्षा बिहार सरकारी सेवक को नियुक्ति से एक वर्ष के भीतर देवनागरी लिपी हिन्दी लिखने–पढ़ने की परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा, यदि वह हिन्दी के साथ प्रवेशिका परीक्षा अथवा हिन्दी को किसी ऐसी परीक्षा में, जिसे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रवेशिका परीक्षा के समकक्ष मान्यता दी गयी हो, उत्तीर्ण नहीं हो।

17. पुलिस हस्तक नियम 685(a)(i) में प्रावधान है कि सहायक अवर निरीक्षक कोटि में प्रोन्नति के लिए अर्हता परीक्षा सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी और हिन्दी निबंध की होगी तथा अर्हता सूचक अंक हर विषय में पचास प्रतिशत होंगे।

18. पुलिस हस्तक नियम 685(a)(vii) सहायक अवर निरीक्षक कोटि में समावेश विभिन्न जिला के रिक्त स्थानों के अनुसार किया जायेगा। इसके लिए परीक्षा में उत्तीर्ण हवलदारों, नायक, सिपाहियों को उनकी पारस्परिक वरीयता के अनुसार संयुक्त प्रोन्नति सूची में रखा जायेगा, जिसमें नायक/हवलदार के नाम सिपाहियों के ऊपर रहेंगे। जो नायक/हवलदार/सिपाही बाद में परीक्षा पास करेंगे, उनके नाम बाद की सूची में शामिल किए जायेंगे।

19. As ruled by the Apex Court in Bharathidasan University and another v. All India Council for Technical Education and others, 2001 (8) SCC 676 that power to make regulation is confines to certain limits and made to alow in a well defined canal within stipulated banks, those actually made or shown and found to be not made within its confines but outside them, the Courts are bound to ignore them when the question of their enforcement arise and the mere fact that there was no specific relief sought for to strike down or declare them ultra vires, particularly when the party in sufferance is a respondent to the lis or proceedings cannot confer any furher sanctity or authority and validity which it is shown and found to obvoiusly and patently lack. It is also trite that administrative instructions can only fill up the gaps in the rule but it cannot be inconsistent with it, failing which it would be ultra vores in its enforcement. In the subordinate legislation an office memorandum issued by Governmentr of India if contravenes the rules, it has no sanctity in law.

20. It is also held in Dilip Kumar Ghosh & Ors, v. Chairman & Ors., 2005(7) SCC 567 that a circular cannot override the rules occupying a particular field.

21. The judgement of the Ho'ble Supreme Court in the case of R. Prabhadevi and others v. Union of India and others, reported in 1998 SCC (L&S) 475 lays down that "seniority in a particular cadre does not entitle a public servant for promtion to a higher post inless he fulfills the eligilble condition prescribed by the relevant rules. A person must be eligible for promotion having regard to the qualifications prescribed for the post before the could be considered for promotion. Seniority cannot be substituted for eligiblity nor can it override in the matter of promotion to the next higher post. It was made clear therein that the TBOP and BCR Schemes are not promotions on the criterion of seniority against the norm based posts in higher grades, but only placements in the higher scales of pay on completion of 16 years and 26 years of service respectively. Eligibility condition is only the length of service and seniors in the gradation list will not be considered for the higher scale from the date their immediate juniors became eligible, without completing the prscribed length of service. However, seniority in the gradation list will remain intact for promotion to norms based posts (supervisory posts) as per seniority and fitness in their turn."

22. पुलिस हस्तक नियम के प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में विकल्प संख्या–1 में दिया गया सुझाव संभव नहीं है क्योंकि पी0टी0सी0 उत्तीर्ण करना प्रोन्नति के लिये अनिवार्य अर्हता है। तदनुसार प्रोन्नति हेतु निर्धारित अर्हता को पूर्ण करने के आधार पर भी प्रोन्नति दिया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, वर्णित प्रावधानों एवं न्यायादेशों के आलोक में स्पष्ट है कि उपरोक्त तालिका के क्रमांक–15 में अंकित पु0अ0नि0 अरविन्द कुमार मिश्रा को छोड़कर शेष सभी समरूप कर्मियों का पु0अ0नि0 संवर्ग में प्रदत्त प्रोन्नति नियमानुकूल नहीं है। इसलिए आवेदकों का प्रोन्नति तिथि Shift Back करने का अनुरोध अमान्य पाते हुए पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक–41/42 दिनांक–6.1.09 के द्वारा दी गयी प्रोन्नति को निरस्त किया जाता है। साथ ही अर्हता के अनुरूप उक्त सभी **पुलिस** अवर निरीक्षकों की पु0अ0नि0 संवर्ग में प्रोन्नति तिथि पी0टी0सी0 उत्तीर्णता की तिथि से निम्न **रूपेण**

उनके नाम के सामने की कंडिका में अंकित पी0टी0सी0 उत्तीर्णता की तिथि से Shift Forward की जाती है।

क्र0 स0	स0अ0नि0 में वरीयता क्र0	पु0अ0नि0 का नाम/ गृह जिला/ जन्म तिथि	पदस्थापन जिला	सिपाही के पद पर नियुक्ति तिथि	हिन्दी / पी0टी0सी0 उत्तीर्णता की तिथि	आशु स0अ0नि0 के पद पर नियुक्ति की तिथि	सामान्य स0अ0नि0 में प्रत्यावर्त्तन की तिथि	*पु0अ0नि0 की कोटि में प्रोन्नति की तिथि*	पु0अ0नि0 की कोटि में प्रोन्नति की संशोधित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1	3179 (ए)	से0नि0 राममूर्ति सिंह/ पटना/30.01.56	पुलिस मुख्यालय	01.02.82	10.08.86 09.06.10	02.07.88	02.07.93	*06.01.09*	*09.06.10*	पी0टी0सी0 उत्तीर्णता की तिथि से
2	3179 (बी)	रहमत अली/ पटना/26.06.61	निगरानी अन्वेषण ब्यूरो	19.04.84	— 09.06.10	02.07.88	02.07.93	*06.01.09*	*09.06.10*	पी0टी0सी0 उत्तीर्णता की तिथि से
3	3179 (सी)	अनवार आलम/ नालन्दा/05.12.61	विशेष शाखा	15.12.83	25.02.85 05.05.11	02.07.88	02.07.93	*06.01.09*	*05.05.11*	पी0टी0सी0 उत्तीर्णता की तिथि से
4	3179 (डी)	गिरधारी कुमार मिश्रा/ भागलपुर/ 25.02.62	पुलिस मुख्यालय	11.12.84	19.12.93 09.06.10	02.07.88	02.07.93	*06.01.09*	*09.06.10*	पी0टी0सी0 उत्तीर्णता की तिथि से
5	3186 (ए)	काशीनाथ दूबे/ सासाराम/ 03.01.54	अप0 अनु0 विभाग	21.11.75	24.06.90 22.06.10	30.07.88	30.07.93	*06.01.09*	*22.06.10*	पी0टी0सी0 उत्तीर्णता की तिथि से
6	3186 (डी)	सुदर्शन सिंह/ भोजपुर/02.01.58	रोहतास	16.02.82	27.12.86 09.06.10	30.07.88	30.07.93	*06.01.09*	*09.06.10*	पी0टी0सी0 उत्तीर्णता की तिथि से
7	3186 (ई)	बिनोद कुमार तिवारी/ सिवान/31.01.61	एस0टी0ए फ0	29.08.79	21.02.92 09.06.10	30.07.88	30.07.93	*06.01.09*	*09.06.10*	पी0टी0सी0 उत्तीर्णता की तिथि से
8	3186 (एफ)	अमरेन्द्र कुमार/ मुजफ्फरपुर/ 07.05.61	एस0टी0ए फ0	01.09.87	18.09.90 09.06.10	30.07.88	30.07.93	*06.01.09*	*09.06.10*	पी0टी0सी0 उत्तीर्णता की तिथि से
9	3186 (जी)	सत्येन्द्र कुमार/ गया/14.05.62	विशेष शाखा	21.11.81	20.12.87 12.12.11	30.07.88	30.07.93	*06.01.09*	*12.12.11*	पी0टी0सी0 उत्तीर्णता की तिथि से
10	3186 (एच)	कृष्ण कुमार सिंह/ सारण/25.11.62	मुजफ्फरपुर	24.02.83	25.11.84 24.04.10	30.07.88	30.07.93	*06.01.09*	*24.04.10*	पी0टी0सी0 उत्तीर्णता की तिथि से
11	3186 (आई)	रतन कुमार यादव /भागलपुर/ 01.03.63	सीतामढ़ी	03.12.81	10.01.86 09.06.10	30.07.88	30.07.93	*06.01.09*	*09.06.10*	पी0टी0सी0 उत्तीर्णता की तिथि से
12	3186 (जे)	राम विनोद सिंह/ पटना/21.06.63	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	21.02.86	24.06.90 09.06.10	30.07.88	30.07.93	*06.01.09*	*09.06.10*	पी0टी0सी0 उत्तीर्णता की तिथि से
13	3186 (के)	अरविन्द कुमार मिश्रा/गया/ 31.11.64	रेल मुजफ्फरपुर	17.05.86	17.05.92 09.06.10	30.07.88	30.07.93	*09.06.10*	*यथावत*	पी0टी0सी0 उत्तीर्णता की तिथि से
14	3508 (ई)	अनिल कुमार पाण्डेय/ समस्तीपुर/ 01.06.60	सिवान	29.06.79	05.07.87 09.06.10	06.09.89	06.09.94	*06.01.09*	*09.06.10*	पी0टी0सी0 उत्तीर्णता की तिथि से
15	3508 (जी)	नंद किशोर सिंह/ भोजपुर/12.01.63	आर्थि0 अप0 ई0	14.05.82	23.07.95 09.06.10	06.09.89	06.09.94	*06.01.09*	*09.06.10*	पी0टी0सी0 उत्तीर्णता की तिथि से
16	3508 (एच)	संजय कुमार/ पटना/30.04.64	अरवल	31.12.83	17.01.93 09.06.10	06.09.89	06.09.94	*06.01.09*	*09.06.10*	पी0टी0सी0 उत्तीर्णता की तिथि से
17	3508 (आई)	नौशाद आलम/ भोजपुर/08.08.64	पुलिस मुख्यालय	13.05.88	21.02.92 09.06.10	09.08.89	06.09.94	*06.01.09*	*09.06.10*	पी0टी0सी0 उत्तीर्णता की तिथि से
18	3508 (जे)	असगर ईमाम/ मधुबनी/06.01.66	समस्तीपुर	13.03.86	27.04.93 09.06.10	06.09.89	06.09.94	*06.01.09*	*09.06.10*	पी0टी0सी0 उत्तीर्णता की तिथि से
19	4573 (ए)	विजय प्रसाद सिंह/ बेगुसराय/ 12.05.60	भागलपुर	17.06.81	03.05.92 22.06.10	10.04.90	10.04.95	*06.01.09*	*22.06.10*	पी0टी0सी0 उत्तीर्णता की तिथि से
20	4573 (बी)	अरविन्द कुमार/ जहानाबाद/ 02.01.61	निग0 अन0 ब्यूरो	01.06.80	— 20.11.13	10.04.90	10.04.95	*06.01.09*	*20.11.13*	पी0टी0सी0 उत्तीर्णता की तिथि से
21	4573 (सी)	समीर कुमार शेष/ सुपौल/16.01.62	पूर्णियाँ	13.01.84	24.10.87 22.06.10	10.04.90	10.04.95	*06.01.09*	*22.06.10*	पी0टी0सी0 उत्तीर्णता की तिथि से

क्र० स०	स0अ0नि0 में वरीयता क्र0	पु0अ0नि0 का नाम / गृह जिला / जन्म तिथि	पदस्थापन जिला	सिपाही के पद पर नियुक्ति तिथि	हिन्दी / पी0टी0सी0 उत्तीर्णता की तिथि	आशु स0अ0नि0 के पद पर नियुक्ति की तिथि	सामान्य स0अ0नि0 में प्रत्यावर्त्तन की तिथि	*पु0अ0नि0 की कोटि में प्रोन्नति की तिथि*	पु0अ0नि0 की कोटि में प्रोन्नति की संशोधित तिथि	अभ्युक्ति
22	4573 (डी)	मो0 सलीम अहसन / नालन्दा / 03.01.63	पूर्णियाँ	08.12.86	06.01.91 25.04.16	01.08.90	10.08.95	*06.01.09*	*25.04.16*	**पी0टी0सी0 उत्तीर्णता की तिथि से**

श्री बलदेव प्रसाद सिंह, स0अ0नि0 में वरीयता क्रमांक–3186(बी), श्री सत्येन्द्र नारायण प्रसाद, स0अ0नि0 में वरीयता क्रमांक–3186(सी), श्री गुरूप्रताप सिंह, स0अ0नि0 में वरीयता क्रमांक–3193(एल), एवं श्री असरफ अंसारी, स0अ0नि0 में वरीयता क्रमांक–3508(एफ) के संबंध में यथेष्ट अभिलेखादि उपलब्ध नहीं होने के कारण इनकी पु0अ0नि0 संवर्ग में प्रोन्नति तिथि संशोधन पर केन्द्रीय चयन पर्षद में निर्णय नहीं लिया जा सका; किन्तु इस संदर्भ में केन्द्रीय चयन पर्षद का अभिमत है कि उपरोक्त नीतिगण निर्णय से इनके दावे भी यथा–प्रोन्नति एवं वरीयता का मामला आच्छादित होगा।

उपरोक्त के अलावे भी यदि अन्य समरूप मामले प्रकाश में आते हैं तो संबंधित पुलिस अधीक्षक, तदनुसार, पुलिस मुख्यालय को प्रतिवेदित करेंगे।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार,

16.5.17

पुलिस महानिदेशक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–5682/पी0–2
07–2/1–11–2016
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक–16-5-2017

प्रतिलिपि :–

1. सभी संबंधित अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. सभी संबंधित पुलिस महानिरीक्षक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. सभी संबंधित पुलिस उप–महानिरीक्षक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. सभी संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. सभी संबंधित पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
6. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

16.5.17

पुलिस महानिदेशक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना।